रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 1972/पौष 15, 1893
No. 7] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 1972 PAUSA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
[Border Security (II) (G & Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th January 1972

S.O. 7(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Haryana for period of six months with effect from 8th January, 1972 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1972

सा० नि० 7(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8 जनवरी 1972 से 7 जुलाई 1972 तक छह मास के लिए हरियाणा में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एम०II. (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 8(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for period of six months with effect from 7th January, 1972 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 8(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7 जनवरी 1972 से 6 जुलाई 1972 तक छह मास के लिए राजस्थान में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69 बी० एस०II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 9(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in West Bengal for period of six months with effect from 8th January, 1972 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 9(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8 जनवरी 1972 से 7 जुलाई 1972 तक छह मास के लिए वेस्ट बंगाल में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69 बी० एस० II. (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 10(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Bihar for period of six months with effect from 17th January, 1972 as active duty

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 10(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17 जनवरी 1972 से 16 जुलाई 1972 तक छह मास के लिए बिहार में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी एण्ड क्यू०)]

S.O. 11(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Delhi for period of six months with effect from 23rd January, 1972 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 11(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23 जनवरी 1972 से 22 जुलाई 1972 तक छह मास के लिए दिल्ली में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II. (जी० एण्ड क्यू०)]

[1]S.O. 12(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Kerala for period of six months with effect from 2th January, 1972 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 12 (अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25 जनवरी 1972 से 24 जुलाई 1972 तक छह मास के लिए केरला में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[फा० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 13(E). In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya for period of six months with effect from 31st January, 1972 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

B. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

सा० नि० 13(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 31 जनवरी 1972 से 30 जुलाई 1972 तक छह मास के लिए मेघालय में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

बी० वेंकटरामन्, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972